an>

Title: Need to take steps for the appointment of Chairman and Members of the Commissions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and Minorities.

-

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, I am very thankful to you for giving me an opportunity to raise a very, very urgent matter.

Madam, on this matter I have given an Adjournment Motion notice. You are not allowing my Adjournment Motion. That is why, you have given me chance to speak in the 'Zero Hour'.

The Government of India has deliberately delayed the filling up of vacancies in the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBC and Minority Commissions. These Commissions are Constitutional institutions. The terms of the Chairmen and Members of the Commissions expired months back but the Government of India has not taken any steps to appoint the new Chairmen and Members.

Due to delay in the appointment of Chairmen and Members in these Commissions, there are several petitions pending before the Commissions. So far, the Government of India is not seriously taking this matter. Ultimately, the people of minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs are being denied justice and early disposal of matters related to these communities.

I would urge upon the Government to take immediate steps for the appointment of Chairmen and Members in these Commissions.

HON. SPEAKER:

Shri Rajeev Satav is permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

Yes, the Minister wants to say something.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विषय में सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। हमारे जितने भी आयोग है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको और अधिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हमने कदम उठाया है। यह विषय आज नहीं तो कल जरूर सामने आएगा।

जहां तक इन आयोगों के गठन की चर्चा है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा और मैं एक सदस्य के माध्यम से देश तथा सदन को भी बताना चाहूंगा, हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि एस.टी.कमीशन का गठन नहीं हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एस.टी. कमीशन का गठन हो चुका है, श्री नन्द कुमार साय जी उसके अध्यक्ष बने हैं, सुश्री अनसुइया उइके उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी है। अगर माननीय सदस्य अपनी जानकारी ठीक करेंगे तो उचित होगा।

दूसरा, ये जितने भी आयोग हैं, जब इनकी अवधि समाप्त होती है तो...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Listen to him, please. When you are asking for something, you will have to listen.

...(*Interruptions*)

श्री थावर चंद गहलोत : मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपने जितने भी आयोगों का नाम लिया है, उनकी अवधि समाप्त होने के बाद तथा दूसरा गठन करने के बीच में तीन महीने से लेकर 10 महीने तक का विलंब पहले भी होता रहा है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि एस.सी. कमीशन के चेयरमैन का पद 21 अक्टूबर को रिक्त हुआ और उसके साथ ही दो अन्य सदस्यों का पद भी रिक्त हुआ, बाकी दो सदस्यों के पद 11 मार्च के आस-पास रिक्त हुए है। इस बीच में पांच राज्यों के चुनाव में आचार-संहिता लागू होने के कारण हम इनका गठन अभी तक नहीं कर पाएं है। अभी यह प्रक्रिया में चल रहा है और शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय होगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम लोग जानबूझ कर कुछ नहीं कर रहे हैं। जब पहले और दूसरे कमीशनों के बीच में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था, तो उस समय 10 महीने का गैप था। अभी मुश्किल से एक-दो महीने हुए हैं। दूसरा और तीसरा कमीशन जब बना था, तो पांच महीनों का गैप था। ओबीसी कमीशन में भी, यह वर्ष 1993 से बना, वर्ष 1993 से 1996 तक पहला कमीशन था, उसकी अवधि 17.08.1996 में समाप्त हुई थी और दूसरा कमीशन 28.02.1997 को बना था, तो इसमें 6 महीने का गैप था। दूसरे एवं तीसरे कमीशनों में भी पांच महीनों का गैप है। अगर आप कहें तो मैं अवधि बता सकता हूं। तीसरे एवं चौथे कमीशनों के बीच में पांच महीनों का अंतराल था।

माननीय अध्यक्ष : मतलब यह होता आया है।

श्री थावर चंद गहलोत : पांचवें और छठे कमीशनों के गठन के बीच में 10 महीनों का अंतर था। ...(व्यवधान) उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी। ...(व्यवधान) छठा कमीशन तीन महीने बाद बना था। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the hon. Minister's statement will go in record.

â€¦(Interruptions) â€¦ *

श्री थावर चंद गहलोत : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशनों में भी इसी प्रकार से विलम्ब होते रहे हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि ओबीसी कमीशन को हम संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। उससे संबंधित बिल बन रहा है, प्रक्रिया में है और जल्दी से हम इस सदन में उसे लाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ओबीसी कमीशन को हमने अधिकार सम्पन्न बनाने का काम किया है। लम्बे समय से उसको संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जाती रही है। ...(व्यवधान) वे लोग तो उसे पूरा नहीं कर पाए, हम इस मांग को पूरा कर रहे हैं और ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर अधिकार सम्पन्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और उनका हित संरक्षण होगा। ...(व्यवधान) मैं एक वाक्य दोहराना चाहूंगा कि इस सरकार की नीति और नीयत इन वर्गों के हित संरक्षण के प्रति तत्पर है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Ram Mohan Naidu wants to congratulate the House on the occasion of Ugadi.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : हां, आज उगादी है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except what Shri Ram Mohan Naidu speaks.

...(*Interruptions*) *â€¦**